भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4

7 दिसम्बर, 2022 को उत्तरार्थ

सहकारी समितियों में ऑनलाइन लेनदेन

4# श्रीमती गीता उर्फ चन्द्रप्रभा:

क्या ***सहकारिता*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सहकारी समितियों में ऑनलाइन लेनदेन करने के लिए कोई योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां तो अब तक कितनी समितियों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान किया जा चुका है;

(ग) क्या ऑनलाइन होने के पश्चात इन समितियों में लेनदेन की प्रक्रिया भी ऑनलाइन की जा सकेगी; और

(घ) क्या यह समितियां ऋण आदि के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (घ): ₹ 2,516 करोड़ के कुल बजटीय परिव्यय से अगले तीन वर्षों में 63,000 कार्यशील प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (PACS) के कंप्यूटरीकरण की एक परियोजना को आर्थिक कार्य मंत्रिमंडलीय समिति ने दिनांक 29 जून, 2022 के अपने निर्णय द्वारा स्वीकृत कर दिया है । इस परियोजना में सभी कार्यशील प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों को कॉमन सॉफ्टवेयर के आधार पर एक ERP (एंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग) पर लाना, उन्हें राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) के माध्यम से नाबार्ड के साथ जोड़ना शामिल है ।

प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों के कंप्यूटरीकरण से उनके कार्यों में दक्षता वृद्धि, ऋणों का त्वरित संवितरण सुनिश्चित होना, लेनदेन लागत में कमी, भुगतानों के असंतुलनों में कमी, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों व राज्य सहकारी बैंकों के साथ निर्बाध लेखांकन और पारदर्शिता में बढ़ोत्तरी जैसे विभिन्न लाभ प्राप्त होंगे । इससे किसानों में प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों के कार्यकरण के प्रति विश्वास की बढ़ोत्तरी होगी । कॉमन एकाउंटिंग सिस्टम (CAS) और मैनेजमेंड इंफॉर्मेशन सिस्टम (MIS) के कार्यान्वयन से पैक्स अपने कार्यों को ऑनलाइन करने में और अपने विभिन्न कार्यों के लिए जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों व राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्तीयन/ऋण प्राप्त करने में समर्थ होंगे ।

*****